

ACM अर्ज  
 फर्द अहकाम  
 नं० बनाम सुंधारा 15

नाम न्यायालय  
 केस संख्या 67/23 TL

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/8/2024	पञ्चवली पुस्तक अधिवक्ता प्रणीत उपस्थित अग्रणी संख्या 3, 5, 6 के अधिवक्ता उपस्थित। अग्रणी संख्या 8, 9, 10, 11 उपस्थित हैं। मतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। (पञ्चवली) वास्ते बहाग जिनके 16/8/24 को पेश है। सहायक कलक्टर जयपुर
	16/8/2024	पञ्चवली पुस्तक अधिवक्ता उरुप पक्ष उपस्थित। उरुप पक्ष अधिवक्तागण की बटस सुनी गयी। प्रणीत ने उन्ही तर्कों को देखाया जो कि प्रांपर में अंकित हैं तथा प्रणीत का मुख्य कथन रहा कि प्रणीत व अग्रणीगण उता न की शामिलता कृषि जूमि है। अग्रणीगण बिना तकासमें के विविध नू-भाग को नफा बतकर विक्रय करे पर उतरा है तथा प्रणीत को नाराजी से बेफखल बना चाहते हैं। यदि अग्रणीगण को जरुरी नस्यार निषेधता से पाठ नही किया तो प्रणीत को अपूर्णता हीत कारित होगी। अग्रणी अधिवक्ता ने आपत्त की कोट जांचि किया कि

केस नं०  
 15


लय  
 दिनांक  
 का

## फर्द अहकाम

पंडा बनाम सुभाराम

आलय आम जयपुर - जयपुर

दिनांक 6/2/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>श्यामलाती श्यामलाती भूमि है उक्त प्लॉट को पाबंद कर दिया जावे। बूक वाए किमान का है अतः वरिष्ठ शहूल्यता को रोकने के लिए आदेश दिनांक 1/8/202 को जारी अन्तर्गत आदेश विषयवाली को मूलवाड के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है।</p> <p>श्यामलाती कैसल गुगा देका कार्रवाई</p> <p>दस्तावेज</p> <p style="text-align: center;">                       सहायक कलेक्टर                      आमेर म. जयपुर                 </p>	